Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

स्व-सहायता समूह और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

डॉ. अरूणा पाठक*

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य एवं प्रबंधन) माता गुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण जीवन, परंपरावादी सोच और जागरूकता।

प्रस्तावना – महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर, सक्षम और विकसित होने के समान अवसर प्राप्त हों। महिलाएँ समाज की लगभग आधी आबादी हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीति में उनकी भागीदारी बहुत कम रही है। स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका सीमित रही, इसलिए उन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल कर आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया गया।

पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जीवन को सामाजिक समानता, न्याय, आर्थिक विकास और मानवीय गरिमा के आधार पर नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। इस व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होने से समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं में भाग लेने का अवसर मिला है।

महिला वर्ग के भीतर भी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में अंतर पाया जाता है, जो वर्ग, शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जनता अपने मताधिकार के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये जनप्रतिनिधि सत्ता में पहुँचकर देश की नीतियाँ बनाते और उन्हें लागू करते हैं।

शुरुआत में अशिक्षा, पर्दा प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के कारण राजनीति में महिलाओं की भूमिका सीमित रही, लेकिन जैसे-जैसे ये बाधाएँ कम हो रही हैं, वैसे-वैसे महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। आज महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कानून, इंजीनियरिंग, प्रबंधन के साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं और अपने अधिकारों व स्थिति को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।

स्वयं सहायता समूह 'एक सब के लिए और सब एक के लिए' के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यह एक सशक्त संगठनात्मक इकाई है, जिसमें समान उद्देश्य और समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले लोग स्वेच्छा से मिलकर समूह बनाते हैं। ये सदस्य अपनी कम आय में से थोड़ी-थोड़ी बचत करना शुरू करते हैं। सामान्यत: एक स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होते हैं।

सदस्यों द्वारा जमा की गई इसी बचत राशि से प्रारंभ में वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपस में ऋण का लेन-देन करते हैं। इसके बाद समूह बैंक से संपर्क स्थापित करता है और बैंक से ऋण प्राप्त कर आय बढ़ाने वाली गतिविधियाँ शुरू करता है, जिससे पूरे समूह की आमदनी में वृद्धि होती है। समूह के सदस्यों की नियमित बैठकें होती हैं, जिनमें सभी समस्याओं पर सामूहिक रूप से चर्चा की जाती है। प्रत्येक सदस्य को अपने विचार खुलकर रखने का अवसर मिलता है और समूह के सभी निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं।

भारत में स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण गुजरात राज्य में देखने को मिलता है, जहाँ वर्ष 1974 में सुश्री इला भट्ट के नेतृत्व में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान किया गया और उन्हें उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। यह सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में पहला सफल प्रयास माना जाता है।

इसके बाद बांग्लादेश में वर्ष 1976 में श्री मुहम्मद यूनूस ने सूक्ष्म वित्त के आधार पर अनेक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। इन समूहों ने गरीबी कम करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा लघु और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी योगदान के लिए मुहम्मद यूनूस को वर्ष 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त की अवधारणा को विश्व के अन्य विकासशील देशों ने भी अपनाया। आज यह व्यवस्था गरीबी दूर करने और लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने का एक प्रभावी और सफल माध्यम बन चुकी है।

उद्देश्य :

1. महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के महत्व और आवश्यकता के बारे में जागरूक करना।
2. समूह के माध्यम से महिलाएँ परंपराओं और रूढ़ियों के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव से मुक्त हो सकेंगी तथा अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानकर आगे बढ़ सकेंगी।
3. स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण महिलाओं में बचत और ऋण से संबंधित बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना।
4. महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, उनकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना तथा उन्हें आर्थिक गतिविधियों में रुचि लेने के लिए प्रेरित करना, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
5. समाज में पुरुष और महिला के बीच भेदभाव को समाप्त कर समानता की भावना को बढ़ावा देना।

महिलाओं में फैली अशिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, पुरुषों का

प्रभुत्व जैसी समस्याओं को दूर करना तथा नारी की गरिमा और पहचान के विकास में आने वाली बाधाओं के विरुद्ध सामाजिक चेतना जाग्रत करना। समूह के माध्यम से महिलाओं को संगठित करना, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना।

स्वयं सहायता समूह निर्माण का कार्य पिछले कुछ वर्षें बहुत तेजी से हो रहा है, जहाँ पर भी ईमानदारी से प्रयत्न किये गए है वहाँ इन प्रयासों को बहुत अधिक सफलता मिली है, कुछ परिणाम तो ऐसे निकले जिनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्र में प्रभाव महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से इन चारों क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के अभियान में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं। इससे परिवार में उनकी स्थिति मजबूत होती है और वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने में सक्षम होती हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जो महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा की घटनाएँ अपेक्षाकृत कम होती हैं।

महिलाएँ जनसंख्या के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी वे अक्सर स्वयं को कमजोर मानती हैं। आवश्यकता है कि महिलाओं को 'अबला' से 'सबला' बनाया जाए। इसके लिए महिलाओं को स्वयं भी प्रयास करने होंगे और समाज को भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से उनका सहयोग करना होगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिाकारों के प्रति जागरूकता तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की नैतिक शक्ति विकसित होती है। जब तक शिक्षा और जागरूकता नहीं बढ़ेगी, तब तक महिलाएँ कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगी। इसलिए महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने आवश्यक हैं।

समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियाँ जैसे बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, मृत्युभोज और भ्रूण हत्या आदि महिला विकास में बाधक हैं। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार और अधिक मजदूरी मिल सके। साथ ही सफल समूहों के सदस्यों के अनुभवों का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है, फिर भी अशिक्षा, परंपरावादी सोच और जागरूकता की कमी के कारण आज भी मातृ मृत्यु दर अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

स्वयं-सहायता समूहों की प्रगति और विकास के लिए उनसे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक महिलाएँ इन समूहों से जुड़ सकें। बैंकिंग प्रक्रियाएँ सरल होनी चाहिए, जिससे अशिक्षित महिलाएँ भी उनका लाभ उठा सकें। बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना महिलाओं के लिए अब तक एक बड़ी चुनौती रहा है। इसलिए महिलाओं को ऋण और साख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक आसान व सरल बनाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सौरभ, समीरा 'सशक्त होती ग्रामीण महिलाऐं' कुरुक्षेत्र, जनवरी 2018, पृष्ठ-12.
2. देवपुरा, प्रतापमल 'महिला सशक्तिकरण कुरुक्षेत्र', मार्च 2005, पृष्ठ-24.
3. चतुर्वेदी, प्रतिमा (2014) 'विकसित समाज में महिला सशक्तिकरण की यर्थाथता', प्रकाशक-वाईकिंग बुक्स, जैन भवन, शान्ति नगर जयपुर पेज न. 73.
4. सिंह, डॉ. नरेन्द्रपाल 'महिलाओं के विकास में सहायक स्वयं सहायता समूह' बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन, जनवरी-मार्च 2011 पृष्ठ-8.
5. चौधरी, डॉ. कृष्ण चन्द्र 'ग्रामीण युवा महिलाओं में उद्यमिता विकास' कुरुक्षेत्र, जनवरी 2019, पृष्ठ-47.
6. सिंह, वी.के 2006, 'वुमन एम्पावरमेंट थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अध्ययन' पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली पेज. न. 14.
7. शर्मा, प्रज्ञा, (2001) 'महिला विकास और सशक्तिकरण' आविष्कार पब्लिशर्स जयपुर पृ. 2.
8. बेहरा, आशा रानी (2006) 'औरत कल आज और कल कल्याणी' शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृ. 13.

****